

समाहरणालय,मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
आदेश

सरकार के प्रधान सचिव,गृह(आरक्षी)विभाग,बिहार पटना के पत्रांक-01 दिनांक- 09 अप्रैल,2015के द्वारा बालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-110-ग्राम पुलिस-उप शीर्ष-0001-चौकीदार - दफादार स्थापना अंतर्गत वेतनादि भुगतान हेतु विभिन्न शीर्षों (विपत्र कोड-एन 2055001100001,मांग संख्या-22)के अंतर्गत माह-अप्रैल,2015 से जुलाई,2015 तक के लिये आवंटन यथा: वेतन--1,44,00,000/- (एक करोड़ चौबालीस लाख), जीवन यापन भत्ता-1,54,08,000/- (एक करोड़ चौबान लाख आठ हजार),मकान किराया भत्ता-10,80,000/- (दस लाख अस्सी हजार),चिकित्सा भत्ता-3,28,800/- (तीन लाख अड़ईस हजार आठ सौ) एवं यात्रा भत्ता-4,000/- (चार हजार) कुल रूपये-3,12,20,800/- (तीन करोड़ बारह लाख बीस हजार आठ सौ) रूपये प्राप्त हुआ है, को संगत विभागीय एवं वित्तीय प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुरूप कार्यलय/पदाधिकारीवार उपावंटित किया जाता है-

क्र०	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम	स्वीकृत पद			01 01-वेतन			01 03- जीवन यापन भत्ता			01 04- मकान किराया भत्ता			01 04- चिकित्सा भत्ता			यात्रा भत्ता	सर्व योग (8+11+14+17+18)
		चौ०	दफा०	कुल	पूर्व का उपावंटन	बर्तमान का उपावंटन	कुल (6+7)	पूर्व का उपावंटन	बर्तमान का उपावंटन	कुल (9+10)	पूर्व का उपावंटन	बर्तमान का उपावंटन	कुल (12+13)	पूर्व का उपावंटन	बर्तमान का उपावंटन	कुल (15+16)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	अं०अ०, मधेपुरा	70	5	75		2288216	2288216		2448412	2448412		171622	171622		52258	52258	400	4960908
2	अं०अ०, पैलाढ़	23	1	24		710136	710136		759852	759852		53262	53262		16218	16218	300	1539768
3	अं०अ०, गम्हरिया	32	2	34		986300	986300		1055350	1055350		73975	73975		22525	22525	300	2138450
4	अं०अ०, सिंहेश्वर	23	2	25		670684	670684		717638	717638		50303	50303		15317	15317	300	1454242
5	अं०अ०, शंकरपुर	18	1	19		394520	394520		422140	422140		29590	29590		9010	9010	300	855560
6	अं०अ०, कुमारखंड	52	4	56		1656984	1656984		1772988	1772988		124278	124278		37842	37842	300	3592392
7	अं०अ०, मुरलीगंज	45	3	48		1499176	1499176		1604132	1604132		112442	112442		34238	34238	300	3250288
8	अं०अ०, उदा०	39	2	41		1262464	1262464		1350848	1350848		94688	94688		28832	28832	300	2737132
9	अं०अ०, ग्वालपाड़ा	29	3	32		789040	789040		844280	844280		59180	59180		18020	18020	300	1710820
10	अं०अ०, बिहारीगंज	44	4	48		1262464	1262464		1350848	1350848		94688	94688		28832	28832	300	2737132
11	अं०अ०, पुरैनी	28	2	30		946848	946848		1013136	1013136		71016	71016		21624	21624	300	2052924
12	अं०अ०, चौसा	33	2	35		1065204	1065204		1139778	1139778		79893	79893		24327	24327	300	2309502
13	अं०अ०, आलमनगर	39	5	44		867964	867964		928598	928598		65063	65063		19757	19757	300	1881682
कुल योग:-		475	36	511	0	14400000	14400000	0	15408000	15408000	0	1080000	1080000	0	328800	328800	4000	31220800

उपावंटन की शर्तें-

- (1) यह राशि गैर योजना मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-110-ग्राम पुलिस-उप शीर्ष-0001-चौकीदार अंतर्गत वेतनादि भुगतान हेतु विभिन्न शीर्ष एवं विपत्र कोड-एन 2055001100001, मांग संख्या-22) के अंतर्गत विकलनीर होगा।
- (2) उपर्युक्त राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है। यदि चौकीदार-दफादार के बकाये वेतनादि से सम्बंधित माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो उक्त राशि का भुगतान इस उपावंटित राशि से किया जाय और तत्पश्चात् अतिरिक्त राशि की मांग की जाय।
- (3) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक-17/04/1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- (4) किसी भी परिस्थिति में उपावंटित राशि का विचलन कर किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया जाएगा अन्यथा इसकी सारीजबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (5) उपावंटित राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक-25 मार्च, 2015 तक बिना चूक के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (6) उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित प्रपत्र पर की जाय, विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को सलंगन किया जाय तथा कार्यालय में निकासी एवं व्यय पंजी का संधारण किया जाय।
- (7) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जानेवाले प्रमाण पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसकी सूचना सम्बंधितों को दी जाय।

ज्ञापांक- 555

/सा0,मधेपुरा दिनांक- 08 मई, 2015

प्रतिलिपि- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा(आवंटन पत्र की छायाप्रति सलंगन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईमेल कर दी जाय।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि इसे जिला के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाय एवं सभी सम्बंधितों को सूचनाार्थ।

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सरकार के प्रधान सचिव, गृह(आरक्षी)विभाग, बिहार पटना/आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ।

Ed/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

Ed/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।